POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 31.01.2025

1. थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा एक महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या (दुर्घटना का रूप देकर) करने वाले अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार स्कोर्पियो गाड़ी व मृतका का मोबाइल फोन बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 18.01.2025 को आवेदिका निवासी चौड़ा सादतपुर, सेक्टर-22, नोएडा द्वारा थाना नॉलेज पार्क पर उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र आवेदिका की पुत्री काजल की सड़क दुर्घटना में कार स्कोर्पियो रजि नं0 डीएल 8 सी.ए.पी 3470 के चालक द्वारा मृत्यु कारित करने के संबंध में दिया गया जिसके आधार पर थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0सं0 19/2024 धारा 281/106 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.01.2025** को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना से संबंधित अभियुक्त शिव पांडे पुत्र प्रेमनारायण पांडे निवासी ग्राम पांडेपुर, थाना लम्भुहा, जिला सुल्तानपुर व अभियुक्ता प्रतिमा पत्नी शिव पांडे निवासी ग्राम पांडेपुर, थाना लम्भुहा, जिला सुल्तानपुर को मय घटना में प्रयुक्त कार स्कोर्पियो नं0 डीएल 8 सी.ए.पी. 3470 और मृतका के मोबाइल फोन सहित **गिरफ्तार** किया गया।

विवरण-- उपरोक्त प्रकरण के विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान गहनता से जाँच करने पर पाया गया कि अभियुक्त शिव पांडे मृतका काजल के साथ लगभग 01 साल से रिलेशन में पति-पत्नी की तरह रह रहा था। शिव पांडे पूर्व से शादीशुदा था जिसकी शादी प्रतिमा से पूर्व में हो रखी थी, परन्तु इसके बारे में शिव पांडे की गर्लफ्रेंड काजल को कोई जानकारी नही थी और शिव पांडे की पत्नी प्रतिमा को भी मृतका काजल के बारे में कोई जानकारी नही थी। लगभग 02 माह पूर्व शिव पांडे की पत्नी प्रतिमा व मृतका काजल को एक दूसरे के संबंध में जानकारी हो गयी थी। जानकारी होने के उपरान्त प्रतिमा व मृतका काजल व शिव पांडे के बीच रोजाना झगडा होना शुरू हो गया। झगडे के बाद जब शिव पांडे मृतका काजल से मिला तो मृतका काजल ने शिव पांडे की प्रोपर्टी में हिस्सा लेने के लिए व स्कोर्पियो गाडी नं0 डीएल 8 सी.ए.पी 3470 को बेचकर उसमें से भी हिस्सा लेने के लिए दबाब बनाया। इसके संबंध में शिव पांडे की पत्नी प्रतिमा को जानकारी हो गयी तो शिव पांडे व प्रतिमा ने मिलकर काजल चौहान को एक्सीडेंट के जरिये मारने की योजना बनायी और दिनांक 16.01.2025 को शिव पांडे ने काजल चौहान को कॉल व मैसेज करके तुगलपुर बुलाया। शिव पांडे व उसकी पत्नी प्रतिमा अपनी स्कोर्पिया कार नं0 डीएल 8 सी.ए.पी

3470 से आये और काजल चौहान की हत्या करने के इरादे से कार को तेजी से काजल चौहान के ऊपर चढ़ा दिया जिससे काजल चौहान की हत्या हो गयी थी और शिव पांडे व उसकी पत्नी प्रतिमा पांडे मौके से भाग गये थे।

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त शिव पांडे व प्रतिमा पांडे का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 103(1)/238(क) बीएनएस का होना पाया गया। उपरोक्त मुकदमा में धारा 103(1)/238(क) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा 281/106 बीएनएस का लोप किया गया।

अभियुक्त का विवरण--

1- शिव पांडे पुत्र प्रेमनारायण पांडे निवासी ग्राम पांडेपुर, थाना लम्भुहा, जिला सुल्तानपुर।
2- प्रतिमा पत्नी शिव पांडे निवासी ग्राम पांडेपुर, थाना लम्भुहा, जिला सुल्तानपुर।

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 19/2025 धारा 103(1)/238(क) बीएनएस थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- घटना में प्रयुक्त कार स्कोर्पियो नं0 डीएल 8 सी.ए.पी 3470
2- मृतका काजल चौहान का मोबाइल फोन

2. थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा पीड़ित के साथ हुई धोखाधड़ी की धनराशि 01 करोड़ 55 लाख रुपयों को वापस कराया गया।

घटना का विवरण-- दिनांक 06.12.2024 को वादी मुकदमा की कम्पनी में फर्जी ई-मले आई0डी0 भेजकर वादी से विदेशी मुद्रा GBP 1,45,308.53 (INR 1,55,00,000) की धोखाधडी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर ली गयी थी, जिसके सम्बन्ध मे दिनांक 19.12.2024 को साइबर क्राइम थाना पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 318(4) BNS व 66, 66C IT Act पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से उपरोक्त मुकदमा में त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही से वादी मुकदमा के बैंक खाते मे दिनांक 31.01.2025 को **01 करोड़ 55 लाख की पूर्ण धनराशि वापस करायी गई है।**

घटना का संक्षिप्त विवरण-- घटना क्रम के अनुसार वादी मुकदमा की कम्पनी मे रॉ मेटिरियल प्राप्त करने हेतु यू0के0 के वेंडर से सम्पर्क किया था, जिसमे वादी मुकदमा को रॉ मटेरियल प्राप्त होने के उपरान्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा यू0के0 के वेंडर की फर्जी ई-मेल आई0डी0 तैयार कराक धनराशि प्राप्त करने हेतु बैंक खाता उपलब्ध कराया जिसमे वादी मुकदमा ने दिनांक 06.12.2024 को विदेशी मुद्रा GBP 145,308.53 (INR 1,55,00,000) भेजने के लिये अपने ICICI बैंक को बाउचर दे दिया था। जिस पर सम्बन्धित बैंक ने बाउचर पर लिख बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरण कर दी थी। उसके उपरान्त वादी मुकदमा को यू0के0 के वेंडर की सही E-Mail ID से मेल प्राप्त हुआ कि पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद वादी मुकदमा को ज्ञात हुआ की किसी अज्ञात व्यक्ति ने यू0के0 के वेंडर की सही E-Mail ID का डोमेन बदल कर ई-मेल करके फिसिंग ई-मेल के माध्यम से वादी के साथ GBP 145,308.53 (INR 1,55,00,000) की धोखाधडी की थी।

बरामदगी का विवरण-- इस अभियोग की विवेचना मे श्रीमान पुलिस उपायुक्त, साइबर क्राइम व सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के कुशल मार्गदर्शन में बैंक व सम्बन्धित इंटरमिडियेरी से समन्वय स्थापित कर वादी मुकदमा के साथ हुयी 01 करोड़ 55 लाख रूपये की धोखाधडी की समस्त धनराशि वादी मुकदमा को वापस करायी गयी।

नोटः साइबर जागरूकता सुझाव/ फिशिंग ईमेल एडवाइजरी

फिशिंग (Phishing) एक साइबर अपराध है, जिसमें धोखेबाज नकली ईमेल, मैसेज या वेबसाइट का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी (जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स आदि) चुराने का प्रयास करते हैं। इसे रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियाँ अपनाएँ:

फिशिंग ईमेल पहचानने के तरीके

1-प्रेषक का सत्यापन करें – अनजान या संदेहास्पद ईमेल पते से आई मेल पर भरोसा न करें।

2-ग्रामर और स्पेलिंग जांचें – फिशिंग ईमेल में अक्सर गलतियां होती हैं।

3-अचानक अनुरोधों से सावधान रहें – यदि कोई ईमेल तत्काल पासवर्ड अपडेट, पेमेंट या गोपनीय जानकारी मांग रहा है, तो सतर्क रहें।

4-संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें – किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर होवर करें और जाँच करें कि वह असली वेबसाइट की ओर इशारा कर रहा है या नहीं।

5-अटैचमेंट न खोलें – यदि स्रोत संदिग्ध हो, तो अटैचमेंट खोलने से बचें, क्योंकि इसमें मैलवेयर हो सकता है।

निष्कर्ष:

साइबर सुरक्षा जागरूकता ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। हमेशा सतर्क रहें, किसी भी ईमेल पर जल्दबाजी में कार्रवाई न करें और सुरक्षा उपाय अपनाएँ। घटना घटित होने पर टोल फ्री नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें अथवा cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है।

3. थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 09 मोटरसाइकिल, 01 स्कूटर, अन्य पुर्जे, औजार, चोरी के वाहन ले जाने मे प्रयुक्त 01 छोटा हाथी (टाटा एस) व 03 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.01.2025** को **थाना इकोटेक-3 पुलिस** द्वारा चेकिंग के दौरान डम्पिंग यार्ड के पास से 02 अभियुक्त 1.अंकित पुत्र रविप्रकाश 2.फूल मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद को 01 चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर बिना नम्बर प्लैट व 02 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी के वाहन खरीदने वाले 03 अन्य अभियुक्त 1.सोनू पुत्र शब्बीर 2.राशिद पुत्र मुन्ना खाँ 3. शकील पुत्र शगीर खाँ को चोरी की 08 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटर (कुल 09 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटर व 03 अवैध चाकू), अन्य सामान व चोरी के वाहन ले जाने मे प्रयुक्त 01 छोटा हाथी(टाटा एस) के साथ डम्पिंग यार्ड के पीछे लखनावली कट के सामने वाले जंगल से **गिरफ्तार** किया गया।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अंकित पुत्र रविप्रकाश निवासी ग्राम गढिया थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी वर्तमान पता ग्राम हल्दौनी, थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष।
2. फूल मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद निवासी ग्राम निलौनी थाना रबुपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता ग्राम हल्दौनी थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष।
3. सोनू पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम धनौरा थाना ककोड़ जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता अलीवर्दीपुर पुस्ता रोड़ ग्राम हल्दौनी थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 29 वर्ष।
4. राशिद पुत्र मुन्ना खाँ निवासी ग्राम ताजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम जलपुरा, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर उम्र 32 वर्ष।
5. शकील पुत्र शगीर खाँ निवासी ग्राम जावनका थाना कोतवाली जिला अलीगढ़ वर्तमान पता ईद गाह के पीछे ग्राम जलपुरा थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 041/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की 09 मोटरसाइकिल
2. 01 स्कूटर
3. मोटरसाइकिल की 01 टंकी होण्ड साईन, 01 हेड़ लाईट, 01 चैचिस, टायर मय रिम के 02 सेट, नट बोल्ट , 01 इंजन, एक क्रैंक, मोटर साईकिल खोलने व बन्द करने के लिए औजार जिनमें 01 पांना, 01 प्लास, 01 पेचकश व 01 सैट छोटी बड़ी मुड़ी हुई चाबियों का
4. 3 अवैध चाकू (अभियुक्त अंकित, फूल मोहम्मद व सोनू के कब्जे से 1-1 चाकू बरामद)
5. तीन फर्जी नम्बर प्लेट
6. एक छोटा हाथी रजि0नं0 UP16JT5339 (चोरी के वाहन ले जाने मे प्रयुक्त)